भारत सरकार

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

पशुपालन और डेयरी विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 2097

दिनांक 14 मार्च, 2023 के लिए प्रश्न

दूध की गुणवत्ता

2097. श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल:

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश के प्रमुख डेयरी विनिर्माताओं द्वारा बेचे जाने वाले दूध की गुणवत्ता के संबंध में कोई अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन विनिर्माताओं के उत्पादों की गुणवत्ता की जांच करने के लिए नियमित रूप से परीक्षण किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) दूध अथवा अन्य डेयरी उत्पादों की गुणवत्ता अच्छी है या नहीं, यह निर्णय लेने के लिए मापदंडों का ब्यौरा क्या है और यदि कोई मिलावटी अथवा खराब गुणवत्ता वाले डेयरी उत्पाद का उत्पादन करता पाया जाता है, तो उस पर क्या जुर्माना लगाया जाता है; और

(ङ) सरकार द्वारा देश में दूध के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए अन्य कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री

(श्री परशोत्तम रूपाला)

(क) जी हां। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने वर्ष 2011, 2016, 2018 और 2022 में दूध की गुणवत्ता संबंधी राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण किया है।

(ख) **राष्ट्रीय दुग्ध सर्वेक्षण 2011 और 2016:**

एफएसएसएआई ने वर्ष 2011 और वर्ष 2016 में क्रमशः 1791 और 1663 नमूनों पर दुग्ध सर्वेक्षण किया था। ये सर्वेक्षण सूचनाप्रद थे।

राष्ट्रीय दुग्ध गुणवत्ता सर्वेक्षण, 2018:

एफएसएसएआई ने वर्ष 2018 में खाद्य सुरक्षा गैर-अनुपालन और दूध में मिलावट के हॉटस्पॉट की पहचान करने के लिए राष्ट्रीय दूध सुरक्षा और गुणवत्ता सर्वेक्षण किया, ताकि ऐसे क्षेत्रों में निगरानी और प्रवर्तन के लिए और अधिक सघन प्रयास किए जा सकें। सर्वेक्षण सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को शामिल करते हुए 1103 शहरों में किया गया था और कुल 6432 नमूने संगठित (खुदरा विक्रेता और प्रसंस्करणकर्ता) के साथ-साथ असंगठित (स्थानीय डेयरी फार्म, दूध विक्रेता और दूध मंडियॉं) दोनों से एकत्र किए गए थे। विभिन्न मिलावटों की मौजुदगी/खाद्य सुरक्षा मापदंडों के लिए नमूनों का विश्लेषण किया गया। सर्वेक्षण के परिणामों से पता चला कि 156 नमूनों में माल्टोडेक्सट्रिन, 78 नमूनों में चीनी और अन्य 12 नमूनों में हाइड्रोजन पेरोक्साइड (6 नमूने), डिटर्जेंट (3 नमूने), यूरिया (2 नमूने) और न्यूट्रलाइज़र (1 नमूना) जैसी मिलावट पाई गई। जबकि इनमें से किसी भी नमूने में सेल्युलोज, ग्लूकोज, स्टार्च और वनस्पति तेल सहित कोई भी अन्य मिलावट दिखाई नहीं दी।

दुग्ध सर्वेक्षण 2022 :

एफएसएसएआई ने एफएसएसआर में दी गई सीमा के अनुसार एंटीबायोटिक, कीटनाशकों के अवशेषों और भारी धातुओं की उपस्थिति का आकलन करने और एफएसएसआर में निर्धारित सीमा से अधिक एंटीबायोटिक दवाओं, कीटनाशकों और भारी धातुओं वाले दूध का स्थान-वार डेटा प्राप्त करने के लिए हॉटस्पॉट की पहचान करने के लिए दूध संबंधी निगरानी की। 12 राज्यों में 133 स्थानों को नमूने के लिए चुना गया था जिसमें शामिल 10 राज्य वे थे जहां लंपी त्वचा रोग फैला था और 2 राज्य अर्थात तमिलनाडु और कर्नाटक को आदर्श के रूप में माना गया जहां लंपी त्वचा रोग के फैलने की कोई सूचना नहीं थी। 798 दूध के नमूनों में से लंपी त्वचा रोग की व्यापकता वाले 10 राज्यों से 654 नमूने लिए गए और आदर्श 2 राज्यों से 144 नमूने लिए गए। 394 नमूने पाश्चुरीकृत पैक्ड नमूनों के थे और 404 गैर-पाश्चुरीकृत (कच्चे) दूध के खुले नमूने थे, जो दूध संग्रह केंद्र, चिलिंग सेंटर और बिक्री केंद्र से एकत्र किए गए थे। निगरानी से पता चला कि 798 नमूनों में से 21 गैर-अनुपालन वाले पाए गए। 3 नमूने असुरक्षित पाए गए जबकि 18 पैक्ड नमूने गलत ब्रांड (मिसब्रांडेड) के साथ पाए गए।

(ग) दूध और दुग्ध उत्पादों सहित खाद्य व्यवसाय संचालकों की निगरानी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपनी निगरानी योजनाओं के अनुसार गहन निगरानी अभियान के माध्यम से नियमित रूप से की जाती है। यदि कोई ऐसा पदार्थ पाया जाता है जो दूध को उपभोग के लिए असुरक्षित बनाता है, तो एफएसएस अधिनियम, 2006, के उपबंधों उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा चूककर्ता खाद्य व्यवसाय संचालकों (एफबीओ) के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई शुरू की गई है। ।

(घ) दूध के मानकों को खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक) विनियम, 2011 के उप-विनियम 2.1.2 में निर्दिष्ट किया गया है। वर्ष 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के लिए विश्लेषण किए गए दूध के प्रवर्तन नमूनों, गैर-अनुरूप पाए गए नमूनों और की गई कार्रवाई का विवरण, **अनुबंध- I** के रूप में संलग्न है।

(ङ) पशुपालन और डेयरी विभाग देश में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित योजनाओं का कार्यान्वयन कर रहा है:

i.राष्ट्रीय गोकुल मिशन
ii.पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण
iii.राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम
iv.राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम
v.डेयरी प्रसंस्करण और अवसंरचना विकास निधि
vi.डेयरी कार्यकलापों में लगी डेयरी सहकारी समितियों और किसान उत्पादक संगठनों को सहायता
vii.पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (एएचआईडीएफ)

****

अनुबंध- 1

वर्ष 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 के दौरान विश्लेषित दूध के प्रवर्तन नमूनों, गैर-अनुरूप पाए गए नमूनों और दिए गए दंड का विवरण

वित्तीय वर्ष	विश्लेषित नमूनों की संख्या	गैर-अनुरूप पाए गए नमूनों की संख्या	प्रारंभ किए गए मामलों की संख्या (सिविल/आपराधिक)	सजा की संख्या	दंड (रु. में)
2019-20	12538	4779	4561	688	9,05,85,125
2020-21	9717	3399	3082	524	6,62,12,595
2021-22	11371	3882	3729	1842	6,05,84,550

***